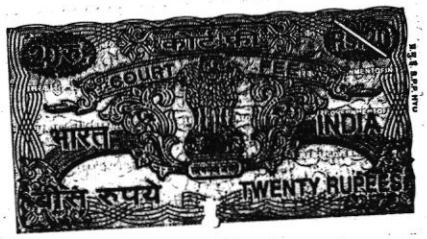

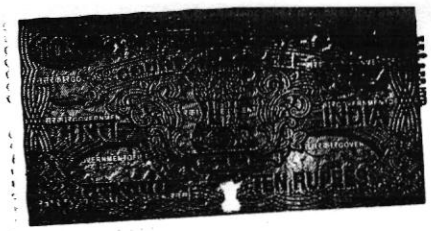

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

निगरानी I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3913

विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा पुत्र स्व0
राजाबहादुर बलवन्त सिंह जू देव
निवासी पैलिस खजुराहो ...........निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती शुसीलादेवी पत्नीश्री देवी प्रसाद ब्रा0
निवासी छत्रशाल नगर के पीछे पन्ना रोड
छतरपुर .........उत्तरवादी

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व अपील कमिशनर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 प्रकरण अपील कमांक 577/बी–121/2008–09 संभाग सागर के विरूद्व.**

पेशी दिनांक 8-11-17

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी पेश करता है–

01. यह कि भूमि खसरा नं0 3664 का रकवा 7.284हे0 स्थित ग्राम छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि है जिसका स्वामी मालिक निगरानीकर्ता का बाबा स्व0 महाराजा भवानी सिंह जू देव थे वह तथ्य स्वीकृत तथ्य है। महाराजा के पुत्र स्व0 राजाबहादुर बलवन्त सिंह का स्वर्गवास उनके पिता श्री भवानी सिंह के जीवनकाल में ही हो गया था इस कारण उक्त भूमि महाराजा भवानी सिंह के नाम ही दर्ज रही है।

Noted 08/11/17

02. यह कि निगरानीकर्ता का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है–

महाराजा विश्वनाथ सिंह जू देव (मृत)
↓
महाराजा भवानी सिंह जू देव (मृत)
↓
राजाबहादुर बलवन्त सिंह जू देव (मृत)

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती भावना कुमारी विधवा राजा बहादुर बलवन्त सिंह जू देव | कु0 विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा | श्रीमती राजकुमारी पदमा सिंह पुत्री |

क्रमशः / /2/ /

XIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक / निग0 / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 3932 जिला – छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22–11–17 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया ।<br>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है तहसीलदार द्वारा अनावेदिका द्वारा वसीयत के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर से उसे तलब किया गया और उसके अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि बाह्य मानकर निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 43 दिन तक अपील क्यों प्रस्तुत नहीं हुई इसका कोई कारण आवेदक द्वारा नहीं दिया गया है उन्होंने अनेक न्यायदृष्टांतों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को समाधानकारक न माना है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश औचितयपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है, जिसमें प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है ।<br>परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>प्रशा0 सदस्य | |